रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07082020-220932
CG-DL-E-07082020-220932

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 388] **नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 6, 2020/श्रावण 15, 1942**
No. 388] **NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 6, 2020/SRAVANA 15, 1942**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2020

सा.का.नि. 493(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (निदेशक) भर्ती नियम, 2010 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् में निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (निदेशक) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में वेतन.–पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में वेतन वह होगा जो अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.–भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता. – वह व्यक्ति, –

(a) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(b) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

पूर्वोक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.–जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति. –इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स या वेतनमान में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निदेशक	1 (2020)	लागू नहीं होता	2,10,000 रु. (नियत) + विशेष भत्ता के रूप में 5000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा के अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्तिआमेलन द्वारा या स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न / पद्धतियो द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां / जिनसे प्रोन्नति याप्रतिनियुक्ति आमेलन किया जाएगा /
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा या कार्यकाल के आधार पर अल्पकालिक संविदा द्वारा। **टिप्पण 1:** उसी या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित पूर्व कैडर पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया पांच वर्ष या अभ्यर्थी की 65 वर्ष की आयु तक या अगले आदेश होने तक, इसमें से जो भी कम हो, होगी।	केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या स्वायत्त संगठन या कानूनी संगठन के अधिकारी, – (क) (i) जो मूल संगठन या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हैं; या (ii) जो मूल संगठन या विभाग में वेतनमान मैट्रिक्स के स्तर 14 [रु .1,44,200 – 2,18,200] में नियमित आधार पर नियुक्ति के

टिप्पण 2: यदि कोई व्यक्ति, जिसके मूल संगठन में सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष से कम है, को निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो वह अपने मूल संगठन में निर्धारित आयु के अनुसार अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होगा। **टिप्पण 3:** 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने वालों के लिए प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4:** 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने वालों के लिए प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 60 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	पश्चात श्रेणी प्रदान किये गए स्तर में दस वर्ष की नियमित सेवा की है; और (ख) निम्नलिखित अनुभव और अर्हताएं रखते हैं:- (i) एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय प्रणाली में आचार्य के रूप में दस साल का अनुभव या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थान में दस वर्ष का अनुभव । (ii) एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विद्या वाचस्पति; (iii) शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट शैक्षणिक कीर्तिमान और अनुभव; (iv) प्रशासनिक, संगठनात्मक और नेतृत्व क्षमता के अलावा किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से स्कूली शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर शोध के संबंध में व्यापक रुचि; **वांछनीय:** (i) शिक्षा में विद्या वाचस्पति; या (ii) भारत या विदेश में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री; (iii) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पत्रिकाओं में शोध और (अधिमानतः शिक्षा की पत्रिकाओं) प्रकाशनों का प्रमाणित अभिलेख।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या होगी	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
(12)	(13)
खोज-सह-चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाना है; –अध्यक्ष (ख) केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों / केंद्रीय विश्वविद्यालयों / केंद्रीय स्वायत्त संस्थानों के दो संस्थान प्रमुख - मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट – सदस्य (ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों के बाहर के दो प्रख्यात शिक्षाविदों – मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट – सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 1-5/2004-स्कूल.4]

एल. एस. चांगसन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of School Education and Literacy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2020

G.S.R. 493(E).—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Council of Education Research and Training (Director) Recruitment Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director, National Council of Educational Research and Training in the Ministry of Human Resource Development, Department of School Education and Literacy, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Human Resource Development, Department of School Education and Literacy, National Council of Education Research and Training (Director) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and pay in the pay matrix. –The number of post, its classification and pay in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.– The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. – No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix or pay scale	Selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Director	1 (2020)	Not applicable	Rs. 2,10,000 (fixed) + Rs. 5,000 as Special Allowance	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or by deputation/ absorption to be made.
(10)	(11)
By deputation or short-term contract on tenure basis. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately	Officers of the Central Government or State Government or Union Territory or University or recognized research institution or autonomous organization or statutory organization, **–**

preceding this appointment in the same or some other organisation or department of Central Government shall ordinarily not exceed five years or up to the age of 65 years of the candidate or until further orders, whichever is earlier. **Note 2:** In case a person, whose age of retirement is less than 65 years in his parent organization is appointed as Director, he shall retire on attaining the age of superannuation in his parent organisation. **Note 3:** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 58 years as on the closing date of receipt of applications for those who superannuate on 60 years. **Note 4:** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 60 years as on the closing date of receipt of applications for those who superannuate on 65 years.	*(a) (i)* holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or *(ii)* with ten years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level 14 of the pay matrix [Rs. 1,44,200 – 2,18,200] in the parent cadre or department; and *(b)* possessing the following experience and qualifications:- *(i)* Ten years' experience as Professor in a recognized University or ten years of experience in a recognized research or academic institution. *(ii)* Doctor of Philosophy from a recognised University or Institution; *(iii)* Outstanding academic credentials and experience in the field of educational research and training; *(iv)* administrative, organisational and leadership capabilities besides wide ranging interest in regard to conduct of research on different aspects of school education from a recognized institution; **Desirable:** *(i)* Doctor of Philosophy in Education; or *(ii)* postgraduate degree in Education from a recognised University or Institution in India or abroad; *(iii)* proven track record of research and publications in journals of national and international repute (preferably journals of education).

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
The Search-Cum-Selection Committee shall consist of: (a) to be nominated by Ministry of Human Resource Development; - **Chairperson** (b) two Heads of Institutions of Central Educational Institutions/ Central Universities/ Central Autonomous bodies – to be nominated by Ministry of Human Resource Development – **Members** (c) two eminent educationists from outside Ministry of Human Resource Development and its subordinate offices – to be nominated by Ministry of Human Resource Development – **Members**	Not applicable.

[F. No. 1-5/2004-Sch.4]

L. S. CHANGSAN, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM